राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141-2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक: एफ. 55( )अभि. / सीई / डीएलबी / सड़क रिपेयर / 2023 / 98082-342 दिनांक: 31/08/2023

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में विभिन्न कार्यों हेतु किये गये गड्ढों को भरने एवं सड़क रिपेयर संबंधी व्यवस्थायें करने बाबत्।

....

प्रायः देखा गया है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत डिस्कॉम कम्पनियों, दूरसंचार कंपनियों, आरयूआईडीपी, रूडसिको एवं स्थानीय निकायों द्वारा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों यथा पाइप लाइन / केबिल / सीवरेज / ब्रिज के कार्यों तथा बरसात के कारण सड़को पर हुये गढ्डों की सुरक्षा के संबंध में निम्नानुसार प्रबंध तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित किये जावें ताकि सम्भावित जन-धन की हानि से बचा जा सके:-

1. विभिन्न विभागों द्वारा शहरी क्षेत्र की सड़कों पर पाइप लाइन / केबिल आदि कार्य की संबंधित नगरीय निकाय से स्वीकृति उपरांत ही कार्य किया जावें तथा कार्य के दौरान संबंधित विभाग नगरीय निकाय से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।
2. पाइप लाइन / केबिल / सीवरेज / ब्रिज आदि कार्यो के लिये खोदी जा रही सड़क पर संबंधित विभाग द्वारा कार्य प्रगति का बोर्ड लगाया जाये एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे, कार्य संपादन उपरांत बेरीकेटिंग / बोर्ड को हटाया जावें।
3. कम चौडाई की सडको में सीवर लाइन / पानी की लाइन या केबिल कार्य हेतु खुदाई की गई सड़को पर No Entry एवं डायवर्जन का बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जावें।
4. पाइप लाइन / केबिल / सीवरेज आदि कार्य पूर्ण होने के उपरांत 07 दिवस के अंदर सड़क रिपेयर्स / दुरस्तीकरण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. वर्षाकाल के दौरान सड़कों / रिक्त भूमि आदि पर हुये गढ्डों की शीघ्र मरम्मत कराया जाना सुनिश्चित करें। रिक्त भूमि पर यदि गहरे गढ्डे है और उनमें पानी भरा हुआ है ऐसे स्थानों का चिन्हिकरण करके सुरक्षात्मक दृष्टि से बेरीकेटिंग / बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कोई आकस्मिक घटना की संभावना नहीं रहें।
6. शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में खुले हुये नाले – नालियों को सुरक्षित रूप से ढकने की कार्यवाही की जावें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे।
7. सीवरेज मेनहॉल एवं नालियों का कार्य हो रहा हो तो वहां पर चेतावनी के बोर्ड लगाये जावें। सीवरेज लाईन के मेनहॉल्स की सफाई करने के पश्चात् मेनहॉल्स को तुरन्त ढ़कने हेतु कार्यवाही की जावे।
8. सड़क पर बने हुए नाला-नालियों के कॉरसिंग व खुले स्थानों को फेरोकवर से तुरन्त ढ़का जावे।
9. रोड़ कट्स / टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य दीपावली से पूर्व करवा लिया जाना सुनिश्चित किया जावे। बरसात के कारण या पानी के बहाव के कारण नालियों व सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उनकी तुरन्त मरम्मत करवाई जावें।
10. बरसात के बाद शहर के सार्वजनिक स्थलों, निचले इलाकों (Low lying Area) व नालों में इकट्ठे / जमा कचरे / मलवे, कीचड़ / गंदगी व भरे हुये पानी को अविलम्ब हटाया जावे।

RajKaj Ref No. : 4558296

Scanned with CamScanner

11. विद्युत डिस्कॉम कम्पनियों के अभियन्ताओं के साथ मिलकर सड़क किनारे बिजली के ढीले तारों को दुरस्त करने एवं बिजली के खम्बों, सड़क किनारे डी.पी., केबल बॉक्स व स्वीच बॉक्स के आस-पास लूज तारों को हटाया जावे। स्वीच बॉक्स के टूटे हुये ढक्कनों को तुरन्त मरम्मत करवाई जावे साथ ही ट्रांसफार्मर्स की सुरक्षात्मक दृष्टि से बेरीकेटिंग/जाली लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
12. असुरक्षित/जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाकर भवनों मालिकों को नोटिस/सार्वजनिक सूचना जारी करते हुये उनको खाली कराने की कार्यवाही की जावे। ऐसे मकानों के वासियों को चेतावनी देते हुये उनके सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु समुचित कार्यवाही की जावे, ताकि जन-धन की हानि नहीं हो।
13. वर्षाकाल के उपरान्त फेलने वाली बीमारियां जैसे- हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा संबंधी बीमारियां एवं दूषित जल से बचाव के लिये अत्यधिक साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

अतः संबंधित विभाग के प्रशासनिक/तकनीकी अधिकारियां द्वारा शहरी क्षेत्र की सड़कों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जावे साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा सड़को पर किये जा रहे गढ्ढों का चिन्हिकरण करके उनकी सुरक्षात्मक दृष्टि से बेरीकेटिंग/बोर्ड लगवाये जाकर उपरोक्त की पालना सुनिश्चित की जायें।

क्रमांकः एफ 55 ( ) पीए/सीई/डीएलबी/सड़क रिपेयर/2023/98343-413 दिनांक 31/08/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज. जयपुर।
12. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
13. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
14. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
15. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद्/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
16. सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
17. जिला कलेक्टर्स समस्त राजस्थान।
18. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
19. मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, नगरीय निकाय समस्त।
20. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीड़िया में प्रकाशनार्थ।
21. प्रोग्रामर, आई.टी. सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।

(ह्देश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

Digitally Signed by Hridesh Kumar Sharma
Designation : Director

Scanned with CamScanner